गाटा संख्या–1064, ग्राम कहटा हमीरपुर, तहसील–कालपी, जनपद–जालौन में 12.14 हेक्टेयर (30 एकड़) क्षेत्रफल में श्री करन सिंह प्रस्तावित पट्टाधारक की सैंड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर आयोजित_लोकसुनवाई दिनांक–12.07.2012 का कार्यवृत्त–

उपरोक्त संदर्भित प्रस्तावित सैंड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक–14.9.2006 यथासंशोधित एस.ओ.–3067 दिनांक–01.12.2009 के अनुपालन में लोक सुनवाई आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी जालौन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई दिनांक–12.07.2012 को ग्राम कहटा हमीरपुर तहसील–कालपी, जनपद–जालौन में आयोजित करने संबंधी प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लोकसुनवाई आयोजित करने सम्बंधी सूचना संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनवाई की तिथि से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' के कानपुर संस्करण में दिनांक–10.6.2012 को एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''द टाइम्स आफ इण्डिया'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक–11.6.2012 में प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक–12.7.2012 को जिलाधिकारी जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी श्री लोक पाल सिंह की अध्यक्षता में अपरान्ह 1.00 बजे से प्रस्तावित खनन स्थल के समीप ग्राम कहटा हमीरपुर के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री लोकपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–जालौन।
2. डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
3. श्री महेन्द्र पाण्डेय, परामर्शी मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली।
4. अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

लोकसुनवाई कार्यक्रम के प्रारम्भ में उपस्थित जनसमुदाय को डा0 टी0 एन0 सिंह, सहा0 वैज्ञा0 अधि0, उ0 प्र0 प्र0 नि0 बोर्ड, झांसी द्वारा अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति लेने के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बेतवा नदी के ग्राम कहटा हमीरपुर में श्री करन सिंह द्वारा सैण्ड/मोरम माइनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने सम्बंधी प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी जालौन से लोकसुनवाई की तिथि नियत करने सम्बंधी पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जालौन द्वारा दिनांक–12.7.2012 को लोकसुनवाई आयोजित किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। पट्टेधारक द्वारा मे0 इण्ड टेक हाउस कन्सल्ट, रोहिणी, दिल्ली को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आकड़ों का एकत्रण कर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना बोर्ड में प्रेषित की गयी थी। उक्त आकड़ों को लोकसुनवाई में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराने हेतु डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा परामर्शी को निर्देश दिये गये।

परामर्शी द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि एकत्रित ऑकड़ों से सुस्पष्ट है कि खनन क्षेत्र के 10 किमी की त्रिज्या में प्रदूषण का स्तर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि खनन कार्य से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में पानी के छिड़काव एवं बालू को गीला कर ही परिवहन किया जाना प्राविधानित है। यदि पट्टेधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सुझाये गये उपायों के अनुरूप खनन/परिवहन इत्यादि कार्य किया जाता है तो पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अग्रेतर अवगत कराया गया कि मौरम का खनन कार्य मैनुअल विधि से किया जायेगा। खनन हेतु किसी भी तरह की आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, तथा परिवहन हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों से परिवेशीय वायु गुणता को प्रभावित होने से बचाने के लिए आवागमन के कच्चे रास्तों पर जल छिड़काव की व्यवस्था भी की जायेगी। परामशी द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन पट्टे के 60 प्रतिशत भाग पर खनन कार्य किया जायेगा तथा 40 प्रतिशत भाग पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा। सामाजिक आर्थिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुये जो भी दिशा निर्देश प्रस्तावित खनन पट्टे के लिये आवश्यक हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

उक्त के पश्चात् डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा लोक सुनवाई हेतु उपस्थित आम जन से आपत्तियाँ/सुझाव/टीका–टिप्पणियॉ क्रम से प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री मूल चन्द्र, ग्राम चण्डौत (हमीरपुर) द्वारा अवगत कराया गया कि आसपास में कई खनन पट्टे अवैध रूप से संचालित हैं। उन पट्टों से निकलने वाले मौरम के परिवहन हेतु प्रयुक्त गाड़ियों से आसपास के ग्रामीणों को पैदल निकलना मुश्किल है। नदी के ऊपर खेतों के पट्टे हैं परन्तु नदी की तलहटी से तथा पानी से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियों के परिवहन हेतु खनिज विभाग से रायल्टी पर्ची नही मिल रही है केवल ट्रकों को दिया जा रहा है जिससे कि छोटे किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी ट्रैक्टर ट्राली बंद है जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

श्री बहादुर ग्राम कहटा द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य बन्द होने से रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे कि मजदूरी नहीं मिल रही है। खनन पट्टे शीघ्र चालू किये जायें।

श्री रामभरोसे निषाद ग्राम कहटा द्वारा अवगत कराया गया कि बड़ी–बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है जबकि 50 प्रतिशत मशीनों से व 50 प्रतिशत मैनुअल किया जाये तो ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। अतः पट्टे धारकों को निर्देश दिये जायें कि खनन में मशीनों का उपयोग न किया जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन संम्बन्धी समस्त कार्य मैनुवल किया जाना प्रस्तावित है। कोई भी मशीनरी खनन में प्रयुक्त नहीं की जायेगी।

श्री सत्यप्रकाश ग्राम कहटा द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आसपास के फसलों पर गलत प्रभाव पड़ता है। ट्रकों के आवागमन से कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती है

जिससे फसलों पर धूल उड़ती है जिससे फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है नियमानुसार ही खनन किया जाये अन्यथा इन्हें प्रारम्भ करने हेतु अनुमति न दी जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवहन में प्रयुक्त गाड़ियों से कच्चे रास्ते से उड़ने वाले धूल के नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती बाई ग्राम कहटा द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य बंद होने से खाने को पैसे नहीं है। अनुरोध किया गया कि खनन कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि खनन की स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

श्री शिवकुमार राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संचालित खनन पट्टों में 50 फीट से अधिक गहराई कार्य किया गया था जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्त खनन कार्य मशीनों से किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है अतः अनुरोध है कि भविश्य में प्रारम्भ किये जाने वाले पट्टों में खनन कार्य मजदूरों से कराया जाये तथा कच्चे रास्तों में जल छिड़काव किया जाये जिससे कि फसलों पर प्रभाव न पड़े। श्री शिवकुमार के उक्त सुझाव पर जनसमुदाय द्वारा हर्ष प्रकट किया गया।

डा. टी.एन.सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि तीन मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जाना प्राविधानित है तथा समस्त खनन कार्य मजदूरों द्वारा ही किये जाने हेतु अनुमति है। पर्यावरण स्वीकृति में उक्त शर्तों का समावेश किया जायेगा।

श्री सुमेर सिंह ग्राम कहटा द्वारा भी अवैध खनन/मषीनों से खनन/फसलों पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि नियमानुसार ही खनन की अनुमति मिलनी चाहिये।

खनिज विभाग के सर्वेक्षक श्री विजय भूषण तिवारी द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि यदि कहीं भी अवैध खनन करते पाया गया तो अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में अवैध खनन कार्य किया जाता पाया गया था तथा 28 गाडियों को निरूद्ध किया गया था। ट्रकों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु कच्चे मार्गों पर जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा समय समय पर उक्त कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा।

डा0 टी0 एन0 सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामीणों की समस्याओं/सुझावों के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट करने तथा उसके निराकरण हेतु प्रस्तावित करवाई के सम्बन्ध में आष्वासन देने का अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खनन का कार्य नियमानुसार ही किया जायेगा। यदि नियम के विरुद्ध खनन कार्य/अवैध कार्य किया जाता पाया गया तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों के फोन नं0 ग्रामीणों को नोट कराये गये। तथा निर्देश दिये गये कि खनन से सम्बन्धित जो भी समस्यायें भविष्य में आती है, तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को फोन से माध्यम से अवगत कराया जाये, जिससे कि सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके।

अंत में डा. टी. एन. सिंह द्वारा सभी उपस्थित को आश्वस्त किया गया कि खनन कार्य से कोई भी समस्या सामने आती है तो सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त के निराकरण हेतु सूचना दी जाये। जांच में सही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी द्वारा सभा समाप्ति किये जाने की अनुमति लेने के पश्चात् समस्त को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

उपरोक्त समस्त को दृष्टिगत रखते हुये सन्दर्भित गाटा पर खनन की अनुमति ग्रामवासियों के समस्याओं के निराकरण की शर्तो के साथ कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर अग्रसारित।

(डा0 टी0 एन0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी

(Dr. T.N. Singh)
Asstt. Scientific Officer
U.P. Pollution Control Board
JHANSI

लोकपाल सिंह
अध्यक्ष / अपर जिलाधिकारी
जनपद जालौन, उरई

(लोकपाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि रा.)
जालौन स्थान उरई